FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मालसिंह बनाम हरिसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन

02 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
28-05-25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। दिनांक 03.01.25 को जारी स्थगन आदेश मूल वाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वादपत्र के संलग्न हो।	